

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Application No. 203/2026
CNR: RJHC020398052026 | URN: CRLMA / 488U / 2026

Kuldeep Rawat S/o Shri Chhotu Singh, Aged About 41 Years, R/o
227/39, Jawahar Colony, Riico Colony, Parvatpura, Ajmer.

-----Petitioner

Versus

- State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
- Seema Singh W/o Kuldeep Rawat, R/o 227/39, Jawahar Colony, Riico Colony, Parvatpura, Ajmer At Present R/o F-57, Amrapali Nagar, Gandhi Path West, Vaishali Nagar, Jaipur (West)

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Devanshu Sharma

For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

31/07/2026

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 1398/2021 में दिनांक 03.10.2023 को पारित आदेश को वापिस लिए जाने एवं याचिका को मूल नंबर पर पुनःसंस्थित किए जाने की प्रार्थना की गई है, जिस आदेश के द्वारा याची/अभियुक्त की विविध याचिका उनकी अनुपस्थिति के कारण निरस्त कर दी गई थी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि दिनांक 03.10.2023 को विद्वान अधिवक्ता की गलती से प्रकरण उनकी डायरी में मार्क करने से रह गया था, इसलिए वे उपस्थित नहीं हो पाए थे। उनकी अनुपस्थिति का कारण सद्भाविक था। अभियुक्त की ओर से याचिका एफआईआर को रद्द (Quash) करने हेतु प्रस्तुत की गई थी, जो उसके महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है। अब वे प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करवाना चाहते हैं, अतः इसका अवसर प्रदान किया जाए। ऐसी

स्थिति में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 को वापिस लिया जाना उचित एवं आवश्यक है। अतः उक्त आदेश को वापिस लिए जाने एवं विविध याचिका को पुनर्स्थापित किए जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक द्वारा विरोध करते हुए प्रार्थना-पत्र निरस्तनीय होने से निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षों के तर्कों-वितर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया।

उक्त विविध याचिका याची/अभियुक्त की ओर से एफआईआर संख्या 301/2020 महिला थाना जयपुर को रद्द (Quash) करने हेतु प्रस्तुत की गई है, जो अभियुक्त के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है। अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र में अंकित कारणों एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 03.10.2023 वापिस लिया जाता है तथा एकलपीठ दाण्डिक विविध याचिका संख्या 1398/2021 को 2000/-रूपये अक्षरे दो हजार रुपये हर्जे पर पुनः उसके मूल नंबर पर संस्थित किए जाने का आदेश दिया जाता है। हर्जे की राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर में नियमानुसार जमा की जावे।

तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J